

प्रेषक,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक /0202/बजट आवंटन/दुग्ध/प्रो/पत्रा/2024-2025 दिनांक 21 मार्च, 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या -28 के अन्तर्गत 11-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (सामान्य) में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन/लिमिट जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-95/XV-2/2024/01(05)/2014 दिनांक 11 मार्च 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 11-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (सामान्य) अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर विभाग के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के एस0एन0ए0 बचत खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरित धनराशि के सापेक्ष संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1/158120/2025/नियो-दुग्ध/प्रो/पत्रा (ई0-15779) दिनांक 12 मार्च 2025 के द्वारा उपलब्ध फॉट के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु रू0 35,40,000 (रूपया पैंतीस लाख चालीस हजार) मात्र की लिमिट आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के चाइल्ड बचत खाता संख्या- 158901001292 में जारी की गयी है। योजनान्तर्गत निर्गत लिमिट द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा-

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार भुगतान की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भैतिक प्रगति एवं पूर्व में व्यय की गयी धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लाभार्थियों का विवरण तथा उत्तराखण्ड सहकारी यू0सी0डी0एफ0 लि0 को अब तक प्राप्त प्रति वर्ष रायल्टी की सम्पूर्ण विवरण की सूचना वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जानी होगी।
2. उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन से पशुपालकों की आय में क्या अपेक्षित वृद्धि हुई है, इसका भी सम्यम मूल्यांकन कराया जाय।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार ही समयान्तर्गत उपयोग किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय धनराशि की सूचना बैंक खाते से मिलान करते हुए, प्रतिमाह की 3 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-04 पर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. बैंक में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

कमशः 2

8. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019 दिनांक 22 मार्च 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी सूची सहित निदेशालय/संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाय, इसके लिए जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कराया जाय। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार 31 मार्च, 2025 से पूर्व शतप्रतिशत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. चाइल्ड खाते में लिमिट द्वारा जारी की जा रही धनराशि को वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सही/चालू स्थिति में है। अन्यथा की स्थिति में वास्तविक लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा न होने पर सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-11-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना-00-50-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

पृ० सं० 5259-63 / तददिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव डेरी, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़।
4. शाखा प्रबंधक, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, पिथौरागढ़।

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी